न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण, झाँसी

पीठासीन:-श्री चन्द्रोदय कुमार,H.J.S.
MACP No. 194/15
1. श्रीमती रीता कुशवाहा पत्नी स्व. श्री विनोद कुशवाहा, आयु 30 वर्ष
2. कु. स्नेहा कुशवाहा पुत्री स्व. श्री विनोद कुशवाहा,आयु-10 वर्ष, } नाबालिग जरिये संरक्षिका मां
3. लोकेश कुशवाहा पुत्र स्व. विनोद कुशवाहा, आयु 8 वर्ष, } श्रीमती रीता कुशवाहा
समस्त निवासीगण B8/110, स्कीम नम्बर 114-2, ए. वी. रोड, इन्दौर हाल निवासी-आवास विकास, नन्दनपुरा कालोनी, झाँसी

-------याचीगण

प्रति

1. राजेन्द्र नीखरा पुत्र स्व. श्री पुन्नीलाल नीखरा, निवासी 134 पुरानी पसरट, जिला झाँसी
........(मालिक एक्टिवा स्कूटर संख्या UP93AF8489) दौरान मुकदमा मृत
1/1. श्रीमती आशा नीखरा पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र नीखरा, निवासी 134 पुरानी पसरट, जिला झाँसी
1/2. कमल नीखरा पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र नीखरा, निवासी 134 पुरानी पसरट, जिला झाँसी
1/3. कपिल नीखरा पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र नीखरा, निवासी. 134 पुरानी पसरट, जिला झाँसी
2. महेश कुशवाहा पुत्र श्री रमेश कुशवाहा, निवासी 60 के. नयागांव, बालाजी रोड, नई बस्ती, झाँसी

........(चालक एक्टिवा स्कूटर संख्या UP93AF8489)

3. दि नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि., 98 सिविल लाइन्स, इलाइट टाकीज के पीछे, झाँसी

........(बीमाकर्ता एक्टिवा स्कूटर संख्या UP93AF8489)

-------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री डी. के. गुप्ता
विपक्षी संख्या दो के अधिवक्ता- श्री सुनील शुक्ला
विपक्षी संख्या तीन के अधिवक्ता- श्री एस. सी. गुप्ता

निर्णय

याचीगण की ओर से यह याचिका विपक्षीगण के विरुद्ध धारा 166 एवं 140 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत प्रश्नगत दुर्घटना दिनाँक 04.01.2015 में याची संख्या एक के पति विनोद कुशवाहा की मृत्यु हो जाने के कारण ₹ 86,00000 प्रतिकर एवं उस पर दुर्घटना के दिनाँक से 15% वार्षिक की दर से ब्याज दिलाये जाने हेतु योजित की गयी है।

2. याचिका के अनुसार संक्षेप मे प्रकरण यह है कि दिनाँक 04.01.2015 को याचीगण के क्रमशः पति एवं पिता विनोद कुशवाहा अपने मित्र सुरेन्द्र कुशवाहा के साथ मोटर साइकिल संख्या UP93W3308 को नियंत्रित गति से अपनी साइड पर चलाते हुये अपने घर नन्दनपुरा जा रहे थे, जैसे ही रात करीब 10:30 बजे मैथलीशरण गुप्त पार्क के सामने पहुँचे तभी पीछे से आ रही एक्टिवा स्कूटर संख्या UP93AF8489 के चालक ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये मोटर साइकिल मे पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे मोटर साइकिल गड्ढे में गिर गयी, जिससे विनोद कुशवाहा व सुरेन्द्र कुशवाहा को गम्भीर चोटें आई एवं इलाज हेतु मेडिकल कालेज ले जाते समय रास्ते में विनोद कुशवाहा की मृत्यु हो गयी। कथित घटना को मौके पर रवि एवं संतोष तथा अन्य राहगीरों ने देखा। कथित घटना एक मात्र वाहन एक्टिवा के चालक की तेजी व लापरवाही के कारण घटित हुई। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालय के माध्यम से प्रश्नगत वाहन एक्टिवा के चालक के विरुद्ध धारा 279, 337, 338, 304 ए, 427 भ.दं.सं. के अन्तर्गत दर्ज कराई गयी।

3. कथित घटना के समय मृतक विनोद कुशवाहा 35 वर्षीय हष्टपुष्ट व मेहनती व्यक्ति था तथा मैसर्स ग्वालियर चाट सेंटर के नाम से चाट की दुकान खोले था जिससे वह प्रतिवर्ष ₹ 2,50,578 आय अर्जित कर लेता था जिससे पूरे परिवार का भरण पोषण होता था परन्तु असमायिक मृत्यु हो जाने के कारण याचीगण का सारा परिवार अत्यन्त आर्थिक, मानसिक व शारीरिक कष्ट से जूझ रहा है और याची संख्या एक अपने पति के स्नेह, प्यार एवं दाम्पत्य जीवन से हमेशा के लिए वंचित हो गयी तथा मृतक के दोनो नाबालिग बच्चे हमेशा के लिए अपने पिता के स्नेह व प्यार से वंचित हो गये एवं याचीगण का सारा जीवन अंधकारमय हो गया है। उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर याचीगण ने प्रार्थना की है कि याचीगण को विपक्षीगण से ₹ 86,00000 प्रतिकर एवं उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज तथा दिलाया जाये।

4. दौरान विचारण वर्तमान मामले के विपक्षी राजेन्द्र नीखरा का देहान्त हो जाने के कारण उसके विधिक वारिसान को मामले में बतौर विपक्षी संख्या 1/1, 1/2 एवं 1/3 के रूप में स्थापित किया गया परन्तु समुचित तामीला के बावजूद भी उक्त विपक्षीगण न तो न्यायालय के

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.05 14:54:07 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

समक्ष उपस्थित हुये न ही उनकी ओर से कोई जवाबदावा ही दाखिल किया गया, अत: न्यायालय के आदेशानुसार उपरोक्त विपक्षीगण के विरुद्ध वाद की कार्यवाही एक पक्षीय अग्रसारित की गयी।

5. विपक्षी संख्या दो महेश कुशवाहा की ओर से प्रतिवाद पत्र 40B प्रस्तुत कर दुर्घटना को स्वीकार व अपनी उपेक्षा को अस्वीकार करते हुये अतिरिक्त कथन में कहा गया है कि घटना के दिनाँक 04.01.2015 को विपक्षी अपने वाहन को नियंत्रित गति से चला रहा था और मोटर साइकिल चालक अपने वाहन को चलाने में कुशल नहीं था और उसने तेजी व लापरवाही से वाहन को चलाकर विपक्षी के वाहन में टक्कर मार दी और स्वंय जाकर गड्ढे में गिर गया। कथित घटना में विपक्षी की कोई तेजी व लापरवाही नहीं है। कथित घटना के समय विपक्षी के पास वाहन को चलाने का वैध लाइसेंस था। ऐसी स्थिति में यदि न्यायालय की राय में याचीगण को प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है तो उसकी अदायगी का दायित्व विपक्षी संख्या एक एवं बीमा कम्पनी विपक्षी संख्या तीन पर है।

6. विपक्षी संख्या तीन बीमा कम्पनी की ओर से प्रतिवाद पत्र 68B प्रस्तुत कर याचिका में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुये अतिरिक्त कथन में कहा गया है कि याचीगण ने तथाकथित दुर्घटना मनगढन्त कहानी बनाकर गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की है। याचीगण ने याचिका के समर्थन में प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र, नक्शा नजरी, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि कागजात प्रस्तुत नहीं किये हैं। प्रश्नगत वाहन के मालिक व चालक ने कथित घटना की सूचना विपक्षी बीमा कम्पनी को नहीं दी है न ही वाहन के कागजात सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये हैं। कथित घटना के समय विपक्षी संख्या-दो प्रश्नगत वाहन के चालक के पास वाहन को चलाने का लाइसेंस नहीं था। कथित घटना की सूचना सम्बन्धित थाने द्वारा विपक्षी बीमा कम्पनी को नहीं दी गयी है। याचीगण व विपक्षी संख्या एक व दो आपस में दुरभि-सन्धि किये हुये हैं। कथित घटना दो वाहनो के मध्य घटित होना कहा गया है परन्तु याचीगण ने तथाकथित मोटर साइकिल के मालिक व बीमा कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया है। कथित घटना के समय तथाकथित मोटर साइकिल के चालक/मृतक विनोद कुमार के पास वाहन चलाने का वैध लाइसेंस नहीं था। याचीगण ने अधिक प्रतिकर पाने के आशय से मृतक की आयु कम दर्शित की है तथा आय बढा-चढाकर दर्शित की है, जबकि मृतक कथित घटना के समय कोई काम नहीं करता था। उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर याचिका को निरस्त किये जाने की माँग की गयी है।

7. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये।

1- क्या दिनाँक 04.01.2015 को समय करीब 10:30 बजे रात, स्थान मैथलीशरण गुप्त पार्क के सामने, अर्न्तगत थाना नवाबाद, जिला झाँसी के क्षेत्राधिकार में एक्टिवा संख्या UP93AF8489 के चालक ने उक्त एक्टिवा को तेजी व लापरवाही से चलाकर याचीगण के पति/पिता श्री विनोद कुशवाहा जो अपने मित्र सुरेन्द्र कुशवाहा के साथ मोटर साइकिल संख्या UP93W3308 को नियंत्रित गति से अपने हाथ पर चलाते हुये अपने घर नन्दनपुरा जा रहे थे, में टक्कर मार दी, जिससे उन्हे गम्भीर चोटें आयीं एवं मेडिकल कालेज, झाँसी ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गयी ?

2- क्या दुर्घटना के दिनाँक व समय पर एक्टिवा संख्या UP93AF8489 के चालक के पास उक्त एक्टिवा को चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था ?

3- क्या दुर्घटना के दिनाँक व समय पर एक्टिवा संख्या UP93AF8489 विपक्षी संख्या तीन नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि. में बीमित थी ?

4- क्या याचीगण कोई प्रतिकर धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हाँ तो किस विपक्षी से व कितनी ?

8. अपने कथनों के समर्थन में याचीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में P.W.1 श्रीमती रीता कुशवाहा याची संख्या एक तथा चक्षुदर्शी P.W.2 संतोष कुशवाहा को परीक्षित कराया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में सूची 7C/1 से प्रथम सूचना रिपोर्ट, वाहन एक्टिवा का पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा पालिसी, मृतक का पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि की छाया प्रतियाँ, सूची 48C/1 से भारत निर्वाचन सूची, सूची 16C/1 से कायमी जी.डी., पैन कार्ड, आयकर विवरणी, पहचान पत्र रीता कुशवाहा, शैक्षिक प्रमाण पत्र, याची संख्या दो एवं तीन स्नेहा एवं लोकेश का जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, वाहन एक्टिवा का पंजीयन, बीमा पालिसी, चालक अनुज्ञा पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र विनोद कुशवाहा, चालक अनुज्ञा पत्र आदि की छाया प्रतियाँ तथा सूची 56C/1 से गृहकर की रसीद, नगर पालिक निगम, इंदौर द्वारा निर्गत ग्वालियर चाट सेंटर का लाइसेंस, स्थापना का पंजीयन प्रमाण पत्र, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश द्वारा निर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक की पास बुकें, खाता विवरण एवं सूची 72C/1 से तथाकथित मोटर साइकिल की बीमा पालिसी, पंजीयन प्रमाण पत्र, चालक अनुज्ञा पत्र तथा मेडिकल कालेज, झाँसी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियाँ दाखिल की गयी हैं।

9. विपक्षी संख्या दो की ओर से सूची 42C/1 से वाहन एक्टिवा का पंजीयन प्रमाण पत्र, चालक अनुज्ञा पत्र की छाया प्रतियाँ दाखिल की गयी तथा विपक्षी संख्या तीन बीमा कम्पनी की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रुप में सूची 83C/1 से अन्वेषक आख्या, सूची 88C/1 से दैनिक समाचार पत्र एवं मेडिकल कालेज का बेड-हेड टिकट सुरेन्द्र कुशवाहा की छाया प्रतियाँ, सूची-79C/1 से महेश कुशवहा के चालक अनुज्ञा पत्र की सत्यापन आख्या तथा सूची 51C/1 से प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आरोप पत्र की छाया प्रतियाँ दाखिल की गयीं एवं मौखिक साक्ष्य में साक्षी D.W.1 हर्ष विशाल गुप्ता को परीक्षित किया गया। न्यायालय द्वारा दाण्डिक वाद संख्या 1736/16 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पत्रावली तलब की गई।

10. मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को वर्चुअल कोर्ट मे सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

11. <u>**निस्तारण विवाद्यक संख्या- एक**</u>

विवाद्यक संख्या एक इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दिनाँक 04.01.2015 को समय करीब 10:30 बजे रात, स्थान मैथलीशरण गुप्त पार्क के सामने, अन्तर्गत थाना नवाबाद, जिला झाँसी के क्षेत्राधिकार में एक्टिवा संख्या UP93AF8489 के चालक ने उक्त एक्टिवा को तेजी व लापरवाही से चलाकर याचीगण के पति/पिता श्री विनोद कुशवाहा जो अपने मित्र सुरेन्द्र कुशवाहा के साथ मोटर साइकिल संख्या UP93W3308 को नियंत्रित गति से अपने हाथ पर चलाते हुये अपने घर नन्दनपुरा जा रहे थे, में टक्कर मार दी, जिससे उन्हे गम्भीर चोटें आयीं एवं मेडिकल कालेज, झाँसी ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गयी।

12. कथित घटना के तथ्यों को साबित करने के लिए याचीगण की ओर से P.W.1 के रूप में याची संख्या एक श्रीमती रीता कुशवाहा, जिसे मृतक विनोद कुशवाहा की पत्नी हैं, ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा कथित घटना स्वंय नहीं देखी गयी है। ऐसी स्थिति में वर्तमान मामले में कथित घटना के चक्षुदर्शी बताये गये साक्षी संतोष कुशवाहा की मौखिक साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य की सूक्ष्म मीमांशा किया जाना आवश्यक होगा।

13. **साक्षी P.W.2 संतोष कुशवाहा जिसे कथित घटना का चक्षुदर्शी बताया गया है और जो मृतक का सगा भाई भी है**, ने याचिका के तथ्यों का समर्थन करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन तो किया है कि वह भी विनोद कुशवाहा के पीछे दूसरी मोटर साइकिल से अपने बहनोई रवि के साथ आवास विकास कालोनी जा रहा था किंतु अपनी प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि जब वह घटना स्थल पर पहुँचा था तो एक्टिवा सामने पडी थी, एक्टिवा पर कौन था उसे नहीं मालूम और उसने उसको पकडा भी नहीं, उसने उसको देखा भी नहीं था कि वह कौन था। मेरे विचार से यदि यह साक्षी घटनास्थल पर मौजूद था और इसके सगे भाई को एक्टिवा चालक द्वारा उपेक्षा पूर्वर्वक टक्कर मार देने से गंभीर उपहति आयी थी तो स्वाभाविक रूप से एक्टिवा चालक महेश कुशवाहा को संतोष कुशवाहा व उसके बहनोई द्वारा मिलकर दुर्घटना स्थल पर पकड़ लेना चाहिए था और वहाँ पर पहुँच गई कोबरा पुलिस को सौंप देना चाहिए था। यदि किसी चालक के वाहन से किसी को चोट लग जाय, भले ही उसकी कोई गलती न हो, तो भी लोग उसे पकड़ ही लेते हैं। चलिए, एक क्षण के लिए यदि यह मान भी लिया जाए कि किन्हीं अज्ञात कारणों से इन लोगों ने एक्टिवा चालक महेश कुशवाहा को न ही पकड़ा और न ही देखा तो कम से कम थाने पर एक्टिवा चालक के विरूद्ध तुरंत या कम से कम दो-चार दिन के अंदर रिपोर्ट तो अवश्य ही दर्ज करा दी जानी चाहिए थी। चालक द्वारा उपेक्षा पूर्वक टक्कर मार देने से मृत्यु होने पर पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट अवश्य पंजीकृत करती ऐसी उपधारणा की जाएगी। याची P.W.1 द्वारा प्रति परीक्षा मे एक-डेढ़ माह बाद पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट भेजा जाना कहा है जबकि प्रपत्र सं. 95 सी1 जो कि दण्ड़ प्रकिया संहिता की धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अन्तर्गत पारित आदेश है जिसके अनुसार याची रीता कुशवाहा द्वारा पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र 01.05.2015 को दिया गया है और इस बात का बगैर इंतजार किए कि पुलिस अधीक्षक कुछ कार्यवाही करेंगे दण्ड़ प्रकिया संहिता की धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अन्तर्गत न्यायालय मे प्रार्थना पत्र दिनाँक 07.05.2015 को प्रस्तुत कर दिया गया है। अर्थात लगभग चार माह बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र भेजा गया है और उस पर कार्यवाही का इंतजार भी नही किया गया। याची P.W.1 प्रति परीक्षा मे अपने पक्ष मे विलंब को कम करके बताना चाहती है। P.W.1 ने देरी का कारण यह बताया है कि वह पति की मृत्यु के कारण बदहवास हो गयी थी व दिमागी संतुलन ठीक नही था। यदि यह स्पष्टीकरण मान भी लिया जाए तो प्रश्न यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तो किसी के द्वारा भी पंजीकृत कराई जा सकती थी। P.W.1 **समाचार पत्र प्रपत्र संख्या 89 सी2 मे छपे इस समाचार से इंकार कर रही है कि रानी लक्ष्मी बाई पार्क के पहले स्थित राष्ट्रकवि मैथिलीशरण पार्क के बाहर चल रहे नाला निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में आज रात मोटरसाइकिल से जा रहे दो युवक गिर गए और इन युवकों में से एक की अस्पताल में मौत हो गई** किंतु यह भी बता

रही है कि पेपर में नाम भी गलत लिखे गए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा भी नही है कि यह जागरूक नही है। यदि यह जागरूक है तो 10-15 दिन के अंदर तो रिपोर्ट अवश्य ही लिखा दी जानी चाहिए थी। विलंब के संबंध मे साक्षी P.W.2 ने यह कहा है कि वह इतना समझता नहीं था इस वजह से उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तुरन्त रिपोर्ट नहीं दी थी। मेरे विचार से इसमें समझने वाली कोई बात नहीं आती है। **लगभग चार माह के बड़े विलंब के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट भेजा जाना मामले को संदिग्ध बनाता है**। P.W.2 पंचनामे का साक्षी है। पंचनामे मे दुर्घटनाकारी वाहन का कोई जिक्र नही है। साक्षीगण की विश्वसनीयता इस वजह से भी नही है कि P.W.1 ने मृतक की चाट की दूकान ग्वालियर चाट भंडार के नाम से ग्वालियर म.प्र. मे बताती है जबकि P.W.2 इंदौर मे। P.W.2 यह भी कहता है कि विनोद भी इसी चाट की दूकान पर काम करते हैं। फिर जब मृतक की आमदनी की बात आती है तो यह साक्षी कहने लगता है कि उसने पूर्व जिरह मे भूलवश/भ्रमवश अपने भाई की दूकान का नाम व आमदनी को अपनी आमदनी बता दिया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विलंब से रिपोर्ट लिखवाये जाने के संबंध में उसका यह कथन कि वह समझता नहीं है, बनावटी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अत्यधिक विलंब सोच विचार कर प्रतिकर प्राप्त करने के उद्देश्य से वाहन को झूठे फसाए जाने का अवसर प्रदान करता है। चक्षुदर्शी पी.डब्लू.2 अपनी जिरह में कथित घटना स्थल के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या स्थित है, बता पाने में भी असमर्थ रहा है। पी.डब्लू.2 कहाँ से आ रहा था स्पष्ट नही है। याची रीता कुशवाहा द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेजी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मोटरसाइकिल के पीछे आ रही एक्टिवा की टक्कर मोटरसाइकिल में इतनी जबरदस्त थी कि उसके पति उछलकर पास ही खुदे गड्ढे में जा गिरे जबकि याचिका में उसने कथन किया है कि टक्कर से मोटरसाइकिल गड्ढे में गिर गई और साक्ष्य में यह कहा है कि उसके पति मोटरसाइकिल सहित निर्माणाधीन पुलिया के गड्ढे में गिर गए। यदि स्कूटी की टक्कर इतनी जबर्दस्त थी तो स्कूटी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जानी चाहिए व उसका चालक भी घायल हो जाना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल कौन चला रहा था इस बात पर भी संदेह है। P.W.1 ने मोटरसाइकिल सुरेंद्र कुशवाहा के परिचित अरविंद कुशवाहा की बताई है। यदि मोटरसाइकिल सुरेंद्र कुशवाहा के परिचित अरविंद कुशवाहा की थी तो विनोद कुशवाहा द्वारा इसको चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इस प्रकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो याची के प्रकरण को नकारता है वह यह है कि विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा उपहत सुरेन्द्र का रानी लक्ष्मी बाई चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सालय, झाँसी के बेड हेड टिकट की छाया प्रति प्रपत्र सं. 90सी2 जिसके अनुसार **सुरेन्द्र को दिनाँक 05.01.15 को 2:40 AM पर भर्ती कराया गया है जिसमे सुरेन्द्र के पिता देवी व भाई मुकेश का यह पृष्ठांकन है कि उनके मरीज को चोट मरीज की स्वयं की गलती से लगी है। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है। केवल इलाज करवाना है।स्कूटी की तकनीकी आख्या भी उपलब्ध नही है जिससे यह स्पष्ट होता कि स्कूटी क्षतिग्रस्त हुई थी।** प्रस्तुत प्रकरण में स्कूटी चालक महेश कुशवाहा द्वारा स्वीकार और अस्वीकार जैसा जवाबदावा तो प्रस्तुत किया गया है किंतु उस पर कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। इस प्रकार का जवाबदावा जिस पर साक्ष्य न प्रस्तुत किया जाए दुरभिसंधि के बाद प्रस्तुत किया जाता है जिससे याचीगण का मामला सिद्ध हो जाए और दाण्डिक मुकदमे से भी मुक्ति मिल जाए। **इस प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो याची के प्रकरण को सिरे से नकार देता है और याची व विपक्षी सं. 1 व 2 के मध्य दुरभिसंधि को लिटमस टेस्ट की तरह शत प्रतिशत स्पष्ट कर देता है वह यह है कि श्रीमती रीता कुशवाहा की यह याचिका विपक्षी संख्या 2 महेश कुशवाहा को चालक के रूप मे पक्षकार बनाते हुए दिनाँक 18.05.2015 को अधिवक्ता श्री डी. के. गुप्ता व अधिवक्ता श्री गोपाल नीखरा के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है, जबकि दाण्डिक मामले की केस डायरी के अनुसार विवेचनाधिकारी को सर्वप्रथम दिनाँक 16.06.2015 को ही यह ज्ञात हो पाया कि महेश कुशवाहा एक्टिवा के चालक थे जब इस दिन प्रथम बार एक्टिवा के स्वामी राजेन्द्र नीखरा महेश कुशवाहा को लेकर थाने पर विवेचनाधिकारी के समक्ष यह कहते हुए प्रस्तुत हुए कि महेश कुशवाहा उनकी एक्टिवा को दुर्घटना वाले दिन माँग कर ले गए थे। अब यक्ष प्रश्न यह है कि श्रीमती रीता कुशवाहा को दिनाँक 18.05.2015 को या उससे पहले यह कैसे ज्ञात हुआ कि महेश कुशवाहा एक्टिवा के चालक थे ? इसका कोई उत्तर नही है।**

14. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस निश्कर्ष का हूँ कि मृतक विनोद कुशवाहा की मृत्यु सड़क पर खुदे गड्ढे मे गिर जाने से हुई और बहुत बाद मे याची ने विपक्षी संख्या 1 राजेन्द्र नीखरा व विपक्षी संख्या 2 महेश कुशवाहा से दुरभिसंधि करके विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी से अवैध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के उददेश्य से यह याचिका प्रस्तुत की है जिसमे साक्षी P.W.2 ने मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया है। तदनुसार विवाद्यक संख्या- एक निर्णीत किया जाता है।

15. **निस्तारण विवाद्यक संख्या- दो**

विवाद्यक संख्या- दो इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दुर्घटना के दिनाँक व समय पर एक्टिवा संख्या-UP93AF8489 के चालक के पास उक्त एक्टिवा को चलाने का

वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था ?

16. इस संबंध में कथित चालक महेश कुशवाहा की ओर से दो चालन अनुज्ञप्तियाँ प्रस्तुत की गईं हैं। पहले एक चालन अनुज्ञप्ति प्रपत्र सं. 45C/1 जिसका नंबर 931010618/JH/2010 है प्रस्तुत की गई है जिसमे महेश कुशवाहा की जन्म तिथि 14.05.88 और जारी होने का दिनाँक 04.10.2010 अंकित है तथा दिनाँक 03.10.2030 तक वैध है। बीमा कंपनी द्वारा इस चालन अनुज्ञप्ति का फार्म 54 पर परिवहन अधिकारी से पुष्टि कराए जाने पर यह चालन अनुज्ञप्ति फर्जी पाई गई है, जिसकी अन्वेषण आख्या बीमा कंपनी के अन्वेषक ने प्रस्तुत की है। तत्पश्चात कथित चालक महेश कुशवाहा की ओर से एक दूसरी चालन अनुज्ञप्ति संख्या UP9320070418684 और जिस पर जन्म तिथि 14.05.1985 अंकित है और जो पत्रावली पर प्रपत्र सं. 79C/1 है, जो कि परिवहन वेब पोर्टल से डाउनलोड की गई है, का बीमा कंपनी द्वारा वेरिफिकेशन कराए जाने पर वह सत्य पाई गई है। यह दूसरी चालन अनुज्ञप्ति दिनाँक 04.10.2010 को मोटर साइकिल, लाइट मोटर व्हीकिल चलाने के लिए निर्गत की गयी है तथा दिनाँक 03.10.2030 तक वैध है, जिसकी पुष्टि विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत साक्षी हर्ष विशाल गुप्ता, अन्वेषक द्वारा अपनी साक्ष्य से की गयी है। दुर्घटना दिनाँक 04.01.2015 की है। तदनुसार यह वाद बिंदु निर्णीत किया जाता है।

17. **<u>निस्तारण विवाद्यक संख्या- तीन</u>**

विवाद्यक संख्या- तीन इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दुर्घटना के दिनाँक व समय पर एक्टिवा संख्या-UP93AF8489 विपक्षी संख्या- तीन नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि. में बीमित थी ?

18. उक्त के अतिरिक्त पत्रावली पर याचीगण की ओर से प्रस्तुत प्रपत्र सं. 10C-1/1 प्रश्नगत वाहन एक्टिवा स्कूटर की बीमा पॉलिसी के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त बीमा पॉलिसी दिनाँक 13.06.2014 से 12.06.2015 तक वैध है। इसका खंडन विपक्षी बीमा कंपनी की ओर से नहीं किया जा सका है। अतः स्पष्ट है कि कथित घटना के दिनाँक 4.1.15 को प्रश्नगत वाहन एक्टिवा स्कूटर विपक्षी संख्या- तीन बीमा कम्पनी में विधिवत रुप से बीमित था। विवाद्यक संख्या- तीन तदनुसार निर्णीत किये जाते हैं।

19. **<u>निस्तारण विवाद्यक बिन्दु संख्या- चार</u>**

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या याचीगण कोई प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी है, यदि हाँ तो कितनी व किससे ?

20. विवाद्यक संख्या- एक के निस्तारण हेतु किये गये विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट हैं कि दिनाँक 04.01.2015 को समय करीब 10.30 बजे रात, जब याची संख्या-एक के पति मृतक विनोद कुशवाहा अपने मित्र सुरेन्द्र के साथ मोटर साइकिल संख्या UP93W3308 से अपने घर नन्दनपुरा जा रहे थे, तभी मैथलीशरण गुप्त पार्क के सामने, इसके चालक की त्रुटि के कारण मोटर साइकिल दुर्घटनाग्रस्त होकर गढढे में गिर गयी जिससे विनोद कुशवाहा को गम्भीर चोटें आयी और इलाज हेतु मेडिकल कालेज, झाँसी ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त दुर्घटना में अक्रामक बताये गये वाहन एक्टिवा की कोई संलिप्तता नहीं रही है। याची रीता कुयावाहा ने यह याचिका विपक्षी संख्या 1 राजेन्द्र नीखरा व विपक्षी संख्या 2 महेश कुशवाहा से दुरभिसंधि के बाद प्रस्तुत की है।

21. उपरोक्त स्थिति में याचीगण विपक्षी संख्या तीन दि नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि. से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है और याचीगण की याचिका बीमा कम्पनी के विरूद्ध सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। विवाद्यक संख्या- चार तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

<u>आदेश</u>

याचीगण की ओर से प्रस्तुत याचिका विपक्षी संख्या 3 के विरुद्व सव्यय व निरस्त की जाती है। तलबीदा पत्रावली की केस डायरी की क्लर्क द्वारा सत्यापित प्रति इस पत्रावली पर अवस्थित की जावे।

दिनाँकः 05.12.2020 (चन्द्रोदय कुमार)
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनाँकः 05.12.2020 (चन्द्रोदय कुमार)
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी